



Neutral Citation No. - 2026:AHC:163973

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 4245 वर्ष 2026

उत्कर्ष श्रीवास्तव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आशीष पांडे, निखिल पाठक

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल किया गया द्वितीय पूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 29 सन् 2019, धारा 420, 406, 504, 506, 409, 467, 468, 471, 120-बी आई.पी.सी., थाना कोतवाली महोबा, जनपद महोबा में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 22.01.2019 को आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 420, 406, 504 एवं 506 आई.पी.सी. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 422 सन् 2024 दाखिल की, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 29.01.2024 के विस्तृत आदेश द्वारा उसे संरक्षण प्रदान किया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि विवेचक ने अब कुछ और धाराएं जोड़ दी हैं और आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहा है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त प्रवीण श्रीवास्तव एवं खेमराज कुशवाहा, जिनके नाम भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में थे, को संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2025 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने दिनांक 29.01.2024 के आदेश द्वारा इस न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण का दुरुपयोग नहीं किया है और जांच में सहयोग किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख से सात वर्ष बाद आवेदक को जेल भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आवेदक के पांच मामलों के आपराधिक पूर्ववृत्त का स्पष्टीकरण आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र के अनुच्छेद संख्या 27 में दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक जांच एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा जब भी विवेचना एजेंसी अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा अपेक्षित होगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, जांच में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया, तथापि, उन्होंने तथ्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं किया।

6. मैंने दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी प्रस्तुतियों को सुना है तथा अभिलेख का परिशीलन किया है।

7. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एस सी सी 1 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, जांच की दिशा को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें गवाहों को धमकाना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से भागने, जैसे कि देश छोड़ने आदि की संभावना पर विचार करना होता है। आगे यह भी प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस प्रश्न पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा मामले के तथ्यों जैसे विचारों से मार्गदर्शित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान करना अथवा न करना न्यायालय के विवेक का विषय है।

8. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, (2022) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 676 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता तब

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उत्पन्न होती है जब हिरासत में जांच आवश्यक हो या अपराध जघन्य हो अथवा गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना हो या अभियुक्त के फरार होने की संभावना हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं हो जाता कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित प्रक्रिया बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचक के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा समन का पालन नहीं करेगा और अभियुक्त ने वास्तव में पूरी जांच के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

9. अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधिक सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।

10. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक-**उत्कर्ष श्रीवास्तव** की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार ₹50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे।



(ii) आवेदक जांच के दौरान विवेचक के साथ सहयोग करेगा और जांच किए जाने के प्रयोजन से जब भी आवश्यक हो, विवेचक के समक्ष उपस्थित होगा;

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके; तथा

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

11. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में लोक अभियोजक/विवेचक/प्रथम सूचनादाता-शिकायतकर्ता को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

05 अगस्त, 2026

राधिका